पत्रांक–21 / रा0सू0आ0–06 / 2025, सा.प्र.19589

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग /
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी /
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना–15, दिनांक 27.10.26

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों के ससमय निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों एवं प्रथम अपील आवदेनों का ससमय नियमानुसार निष्पादन नहीं होने के कारण बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील वादों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है।

2. बिहार सूचना आयोग में नियम के प्रतिकूल दायर द्वितीय अपीलवादों के नियंत्रण हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपील वाद का विधिमान्य एवं तथ्यात्मक निपटारा किया जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपील का निष्पादन किए जाने से आवेदकों को भी सहूलियत होगी एवं बिहार सूचना आयोग में अनावश्यक द्वितीय अपीलवाद के मामले में भी कमी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा समरूप मामलों में एक साथ सुनवाई कर न्यायोचित एवं तथ्यात्मक आदेश पारित किये जाने से भी द्वितीय अपील वादों में कमी आ सकती है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों का ससमय, विधिसम्मत, तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील वादों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न हो सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

27/10/26

(मो0 आफाक अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–21 / रा0सू0आ0–06 / 2025, सा.प्र.19580 / पटना–15, दिनांक– 27.10.26

प्रतिलिपि– लोक सूचना कोषांग (प्रशाखा–25), सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।